

## ग्रैटर टपिरालैंड की मांग: त्रिपुरा

### प्रलिमिन्स के लिये:

त्रिपुरा, केंद्र राज्य संबंध, अलग राज्य की मांग


### मेन्स के लिये:

अलग राज्य के लिये संवैधानिक प्रावधान, त्रिपुरा में अलग राज्य की मांग

## चर्चा में क्यों?

हाल ही में त्रिपुरा के इंडजिनस पीपल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा (IPFT) राजनतिकि दल के प्रमुख सचिवि ने पूरी तरह से अलग राज्य "ग्रैटर टपिरालैंड" की मांग को उठाने के लिये जंतर मंतर, नई दलिली में दो दविसीय धरने का नेतृत्व करने का नरिणय ललिया है।

- इसका उद्देश्य राज्य में स्थानीय समुदायों के अधिकारों को सुरक्षित करना है।



## प्रमुख बंदि

### मांग:

- यह पार्टी पूर्वोत्तर राज्य के मूल समुदायों के लिये 'ग्रैटर त्रिपिरालैंड' के रूप में एक अलग राज्य की मांग कर रही है।
- उनकी मांग है कि केंद्र संविधान के अनुच्छेद 2 और 3 के तहत अलग राज्य बनाए।
  - त्रिपुरा में 19 अधिसूचि अनुसूचि जनजातियों में त्रिपुरी (त्रिपुरा और टपिरास) सबसे बड़ी है।
  - 2011 की जनगणना के अनुसार, राज्य में कम-से-कम 5.92 लाख त्रिपुरी हैं, इसके बाद बुरुया रयिंग (1.88 लाख) और जमातिया (83,000) हैं।
- वह न केवल मूल नवासियों के लिये बल्कि त्रिपुरा जनजातीय क्षेत्र स्वायत्त ज़िला परिषद (The Tripura Tribal Areas Autonomous District Council- TTAADC) क्षेत्र में रहने वाले सभी समुदायों के लिये भी एक अलग राज्य की मांग कर रहे हैं।

### ऐतहासिक पृष्ठभूमि:

- त्रिपुरा 13 वीं शताब्दी के अंत से वर्ष 1949 में भारत सरकार के साथ वलिय पत्र पर हस्ताक्षर करने तक माणकिय वंश द्वारा शासित एक राज्य था।
- यह मांग राज्य की जनसांख्यिकी में बदलाव के संबंध में स्थानीय समुदायों की चिंता से उपजी है जसिने उन्हें अल्पसंख्यक बना दिया है।
- यह वर्ष 1947 से वर्ष 1971 के मध्य तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान से बंगालियों के वसिथापन के कारण हुआ।
- त्रिपुरा में आदवासियों की जनसंख्या वर्ष 1881 के 63.77% से घटकर वर्ष 2011 तक 31.80% हो गई थी।
- बीच के दशकों में जातीय संघर्ष और उग्रवाद ने राज्य को जकड़ लिया जो बांग्लादेश के साथ लगभग 860 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है।
- संयुक्त मंच ने यह भी बताया है कि स्थानीय लोगों को न केवल अल्पसंख्यक में बदल दिया गया है, बल्कि माणकिय वंश के अंतिम राजा बीर बकिरम कशोर देबबर्मन द्वारा उनके लिये आरक्षण भूमि से भी उन्हें बेदखल कर दिया गया है।

## पूर्वोत्तर की अन्य मांगें:

- ग्रैटर नगालिमि** (अरुणाचल प्रदेश, मणपुर, असम और म्यांमार के हसिसे)
- बोडोलैंड** (असम)
- जनजातीय स्वायत्तता मेघालय

## संसद के पास एक नया राज्य बनाने की शक्तियाँ:

- संसद** को भारत के संविधान के अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 से एक नया राज्य बनाने की शक्तियाँ प्राप्त होती हैं।
- अनुच्छेद 2:**
  - संसद कानून बनाकर नए राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की स्थापना ऐसे नयियों और शर्तों पर कर सकती है, जो वह ठीक समझे।
  - हालाँकि संसद कानून पारित करके एक नया केंद्रशासित प्रदेश नहीं बना सकती है, यह कार्य केवल संवैधानिक संशोधन के माध्यम से ही किया जा सकता है।
  - अनुच्छेद 2 के तहत सक्किम को भारत का हसिसा बनाया गया।
- अनुच्छेद 3:**
  - इसके तहत संसद को नए राज्यों के गठन और मौजूदा राज्यों के परिवर्तन से संबंधित कानून बनाने का अधिकार दिया गया है।

## इस मुद्दे के समाधान के लिये पहल:

- त्रिपुरा जनजातीय क्षेत्र स्वायत्त ज़िला परिषद:**
  - त्रिपुरा जनजातीय क्षेत्र स्वायत्त ज़िला परिषद (The Tripura Tribal Areas Autonomous District Council- TTAADC) का गठन वर्ष 1985 में **संविधान की छठी अनुसूची** के तहत आदवासी समुदायों के अधिकारों एवं सांस्कृतिक वसिथा को सुरक्षित रखने और विकास सुनिश्चित करने के लिये किया गया था।
    - 'ग्रैटर टपिरालैंड' एक ऐसी स्थिति की परकिल्पना करता है जसिमें संपूर्ण TTAADC क्षेत्र एक अलग राज्य होगा। यह त्रिपुरा के बाहर रहने वाले लोगों और अन्य आदवासी समुदायों के अधिकारों को सुरक्षित करने के लिये समर्पित नकियों का भी प्रस्ताव करता है।
  - TTAADC, जसिके पास वधियायी और कार्यकारी शक्तियाँ हैं, राज्य के भौगोलिक क्षेत्र के लगभग दो-तहाई हसिसे को कवर करता है।
  - परिषद में 30 सदस्य होते हैं जनिमें से 28 नरिवाचि होते हैं जबकि दो राज्यपाल द्वारा मनोनीत होते हैं।
- आरक्षण:**
  - साथ ही राज्य की 60 वधिनसभा सीटों में से 20 अनुसूचि जनजात के लिये आरक्षण हैं।

## आगे की राह

- राजनीतिक वधिरों के बजाय आर्थिक और सामाजिक व्यवहार्यता को प्राथमिकता दी जानी चाहिये।
- नरिंकुश मांगों की जाँच के लिये कुछ स्पष्ट मानदंड और सुरक्षा उपाय होने चाहिये।

- धर्म, जात, भाषा या बोली के बजाय विकास, वर्किंद्रीकरण और शासन जैसी **लोकतांत्रिक चर्ताओं को** नए राज्य की मांगों को स्वीकार करने के लयि वैध आधार देना बेहतर है ।
- इसके अलावा विकास और शासन की कमी जैसी मूलभूत समस्याओं जैसे- सत्ता का संकेंदरण, भ्रष्टाचार, प्रशासनिक अक्षमता आदिका समाधान कयिा जाना चाहयि ।

**स्रोत: इंडयिन एक्सप्रेस**

PDF Refernece URL: <https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/greater-tipraland-demand-of-tripura>

